FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

[redacted]ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

- [redacted]राज भारती पुत्र शम्भू भारती आयु 25 साल निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर
–प्रार्थी

बनाम

- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा136 राज0 भू0राज0 अधि0 1956

नंबर 22/2025
ऑनलाइन नंबर 2025 / ....

वकील प्रार्थीः– अशोक कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.5.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्राथी श्री अशोक कुमार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। प्रा. पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अरांई	
6/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. सक्षम सुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.......... दिनांक 1/8/25 को पेश हो।	
26/6/25	वकील प्रार्थी द्वारा प्रा॰ पत्र वास्ते अर्जेन्ट सुनवाई का प्रस्तुत करने से पत्रावली नियत तिथि से पूर्व आज तलब की गई। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि सरकार जवाब प्राप्त हो चुका है। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरकार जवाब का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस अंतिम बाबत निवेदन किया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लेखबद्ध कर पत्रावली में शामिल किया गया। प्रा. पत्र फैसल शुमार होकर नत्थी रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2025

1. हंसराज भारती पुत्र शम्भूभारती आयु करीबन 25 साल निवासी ग्राम माला तहसील अरांई जिला अजमेर राज.। —प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर (राजस्थान.)

—अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः 26/6/2025

उपस्थितः	श्री अशोक शर्मा	प्रार्थी अंभिभाषक
	पैराकार सरकार	अप्रार्थी

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा वकील श्री अशोक शर्मा के माध्यम से राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि – प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम माला पटवार हल्का गागुन्दा तहसील अरांई में स्थित आराजी खसरा नम्बर 516, 517 कुल रकबा 2.4593 हैक्ट० किस्म पडत बारानी है जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी के पिता का उपरोक्त वर्णित आराजी में बालभारती चेला किल्याण अंकित है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम शंभूभारती पिता कल्याण है जो दोनो ही नाम सही एवं सत्य है एवं दोनों ही नामो से जाने एवं पहचाने जाते है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 29.07.99 को हो चुकी है व मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम शंभूभारती पुत्र कल्याण भारती दर्ज है जिससे साफ है कि प्रार्थी के पिता का नाम शंभूभारती है। ग्राम पंचायत भोगादीत द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनाक 26.06.2023 को जारी किया गया जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम बालभारती उर्फ शंभूभारती अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त मृत्यु प्रमाण पत्र 09/93 दिनांक 30.07.99 में भी शभुभारती पुत्र कल्याण भारती अंकित है साथ ही पहचान पत्र, प्रधानध्याक रा.उ. प्रा.वि. माला के प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत भोगादीत के पंच हेतु आवेदक फॉर्म में भी प्रार्थी के पिता का नाम शंभूमारती पुत्र कल्याण भारती दर्ज है। उपरोक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के पिता का विरासत नामान्तरण खसरा संख्या 566, 97 हेतु खोला गया था परन्तु खसरा संख्या 516, 517 में प्रार्थी के पिता का नाम बालभारती होने के कारण उक्त खसरों में विरासत का नामान्तरण नहीं खोला जा सका है। प्रार्थी अधिकारी अभिलेख में वर्णित आराजी प्रार्थी के पिता का नाम

बालभारती के स्थान पर शंभूभारती का इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के कानून अधिकारी है। प्रार्थी के पिता का नाम अधिकारी अभिलेख में बालभारती दर्ज होने से प्रार्थी के हक में विरासत का नामान्तरण नहीं खोला जा सकता जिससे राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिये लाभांवित योजनाओं व किसान क्रेडिट योजनाओं के लाभांवित अंश प्राप्त करने में असमर्थ है जिससे प्रार्थी कि हिस्से आराजी का सम्पूर्ण विकास पूर्णत विधिवत तरीके से नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी माननीय न्यायालय में धारा 136 भू–राजस्व अधिनयम 1956 का प्रार्थना पत्र इस कारण से पेश किया गया है वर्तमान चालू जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम बालभारती दर्ज है तथा बालभारती व शभूभारती एक ही व्यक्ति है। गांव की साधारण बोल चाल की भाषा में शंभूभारती को ही मंदिर का पुजारी होने के कारण बालंभारती कहा जाता था किंतु बाद में व्यक्तिगत दस्तावेजों में नाम शंभूभारती ही लिखा दिया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 27.12.2024 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थी द्वारा ग्राम माला तहसील अराई में स्थित आराजी कि जमाबंदी नकल देखी गयी जिसमें प्रार्थी का नाम नहीं था तथा अधिकार अभिलेख में अभी भी प्रार्थी के पिता का नाम ही आ रहा था जिससे वादी सरकारी व गैरसरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है तब प्राथी द्वारा पटवारी हल्का से जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सपर्क कर अविलंब रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण निरन्तर जारी है। श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त सह खातेदारी की कृषि भुमि ग्राम माला तहसील अरांई में स्थित आराजी खसरा सख्या 516, 517 कुल रकबा 2.4593 हैक्ट० किंस्म पड़त बारानी है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम बालभारती के स्थान पर शुद्ध अंकन शंभूभारती अंकन / इन्द्राज दूरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

3. अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माला तहसील अरॉई के खसरा नं. 516 व 517 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बालभारती चेला किल्याण हिस्सा पूर्ण जाति गोसाई (गुंशाई) सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है । उक्त खसरों पर वर्तमान में कब्जा काश्त हंसराज, गणेश, राजेन्द्र भारती पुत्रगण शंभूभारती का है। बिन्दु सं.2 प्रार्थी के बाद अनुसार बालभारती चेला किल्याण का सही नाम शम्भू भारती पुत्र कल्याण भारती है जो कि प्रार्थी के पिता है। जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में भी नाम बालभारती पुत्र कल्याण भारती दर्ज है। विस्तृत जांच का मौका पर्चा संलग्न है। ग्राम माला के खसरा नं. 566,97 में शम्भू भारती पुत्र कल्याण भारती की विरासत का नामान्तरण शम्भू भारती के विधिक वारिसानों के हक में हक में खोला जा चुका है। तथा खसरा नं. 516,517 में मृतक का नाम अलग होने से नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी। वर्तमान में ग्राम माला के खसरा नं. 516,517 पर कब्जा काश्त प्रार्थी व उसके भाईयों का ही है। मौका पर्चा संलग्न है।

प्रार्थना पत्र में दिनांक 26.06.2025 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम माला के खसरा संख्या 516, 517 में ''बालभारती'' के स्थान पर ''शम्भूभारती'' का अंकन दर्ज करने की कृपा करें।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा पेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादअधीन भूमि ग्राम माला वर्तमान खाता संख्या 139 खसरा संख्या 516, 517 में प्रार्थी के पिता का नाम बालभारती चेला किल्याण दर्ज है किन्तु राजकीय दस्तावेजों तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खसरा संख्या 566, 97 में प्रार्थी के पिता का नाम शम्भूभारती ही दर्ज है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राज. अधि. के तहत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसरण में एवं लोकहित की भावना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अरांई को राजस्व ग्राम माला पटवार हल्का गागुन्दा तहसील अरांई स्थित वादअधीन भूमि खाता संख्या 139 के खसरा संख्या 516, 517 कुल किता 02 कुल रकबा 2.4593 हैक्टेयर में ''बालभारती'' के स्थान पर ''शम्भूभारती'' दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीदार अरांई उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। शेष जमाबन्दी इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26/6/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा सहारण)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)